N.5/ fc recruitment 2025

।। कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही (राज.) ।।

क्रमांकः- न.5(2)सिरोही-फोर्स/2021/ 10497-530 दिनांकः- 03/12/2025

प्रेस-नोट

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राज. जयपुर के पत्रांक 5780 दिनांक 29.11.2025 तथा पुलिस मुख्यालय की विज्ञप्ति संख्या 1360, 1361 दिनांक 09.04.2025 संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 1376 दिनांक 15.04.2025 एवं 1536 दिनांक 26.04.2025 के तहत जिला सिरोही में कानिस्टेबल सामान्य (टी.एस.पी/नॉन टी.एस.पी.), कानिस्टेबल चालक (टी.एस.पी/नॉन टी.एस.पी.) के पद पर शारीरिक मापतौल एवं दक्षता परीक्षा (PET/PST) का आयोजन राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर रोड जोधपुर में दिनांक 09.12.2025 को प्रातः 06.00 बजे से आयोजित की जायेगी।

पात्र समस्त अभ्यर्थी उक्त शारीरिक मापतौल एवं दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित दिनांक/समय पर अपने साथ विज्ञप्ति क्रमांक 1360 दिनांक 09.04.2025 के बिन्दु संख्या 16 में उल्लेखित प्रमाण पत्र मय कॉल लेटर (वेबसाईट से डाउनलोड किया हुआ) स्वप्रमाणित छायाप्रतियां, पासपोर्ट साईज के 08 फोटो मय प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी आरोग्य एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र व प्रवेश पत्र मे दिये गये निर्देशो की पूर्ण पालना करते हुए दिनांक 09.12.2025 प्रातः 05.00 बजे राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर रोड, जोधपुर मे शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापतौल परीक्षा मे सम्मिलित होंगे।

पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जावें:-

1. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन करने की दिनांक से पूर्व के वित्तिय वर्ष (अर्थात् 2024-25) की आय के आधार पर ऑनलाईन जारी आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 द्वारा निर्धारित शपथ पत्र अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करने के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certficate को अधिकतम 03 वर्ष के लिये वैद्य माना जायेगा।
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के दिशा निर्देश दिनांक 09.09.2015 के बिन्दू संख्या 04 में वर्णितानुसार एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिये जारी प्रमाण पत्र जीवन पर्यन्त होगा, जबकि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये प्रमाण पत्र क्रीमिलेयर में नही होने संबंधी तथ्य 03 वर्ष के लिये विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।

(डॉ. प्यारे लाल शिवरान)
जिला पुलिस अधीक्षक
सिरोही
sirohiforce@gmail.com

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. श्रीमान अति.महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राज.जयपुर।
2. श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, राज.जयपुर।
3. श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकणगण मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।
5. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अति.पुलिस अधीक्षक, सिरोही।
2. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जिला सिरोही को भेजकर लेख है कि इस प्रेस नोट का स्थानीय/दैनिक/प्रादेशिक एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रो मे निःशुल्क दिनांक 04.12.2025 के संस्करण में प्रचारित/प्रसारित जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावे।
3. समस्त वृताधिकारी/थानाधिकारी, जिला सिरोही।
4. संचित निरीक्षक, पु.ला.सिरोही।
5. सम्पादक, समस्त प्रादेशिक/स्थानीय समाचार पत्र को आपके समस्त संस्करण मे जनहित मे निःशुल्क प्रचारित/प्रसारित कराने की व्यवस्था करावे।
6. प्रभारी, डीसीआरबी, सिरोही को भेजकर लेख है कि इस प्रेस नोट को आज ही वैबसाईट पर अपलोड करे तथा इस प्रेस नोट को समस्त स्थानीय/ प्रादेशिक नवीनतम दैनिक समाचार पत्रो मे निःशुल्क प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
7. समस्त शाखा प्रभारी, कार्यालय हाजा मय प्रभारी, जिला नियंत्रण कक्ष, सिरोही।

जिला पुलिस अधीक्षक,
सिरोही